समस्त विभाग अध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष
जनपद–बरेली।

विषय–जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों व शैक्षणिक संस्थानों के परिसर को धूम्रपान मुक्त घोषित करने ए
नियंत्रण कानून की धारा 4, 6क व 6ख के पूर्ण परिपालन हेतु।

महोदय,

विश्व मे 50 लाख लोग तथा भारत वर्ष मे 8 से 9 लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू सेवन से होने वाल बीमारियों से हो जाती है। भारत सरकार ने तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से बचाने के लिए सिगरे एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद **(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003** बनाया है।

धारा 4 : धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग माल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेषन सिनेमाहाल, रेस्टोरेन्ट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टाप, लोक परिवहन, षिक्षण संस्थान, टी स्टाल मिष्ठान भंडार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबन्धित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वा लोगों पर रू0 200/तक का जुर्मानि का प्राविधान है।

जिले के नागरिकों को तम्बाकू आपदा से बचाने के लिए प्रशासन ने जिले के समस्त सार्वजनि स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।

आप अपने विभाग/कार्यालय/संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठान मे सुनिश्चित करें कि–

- निम्न प्रारूप के धूम्रपान सम्बन्धित न्यूनतम् 60X45 सेमी के आकार मे बोर्ड लगें हो।

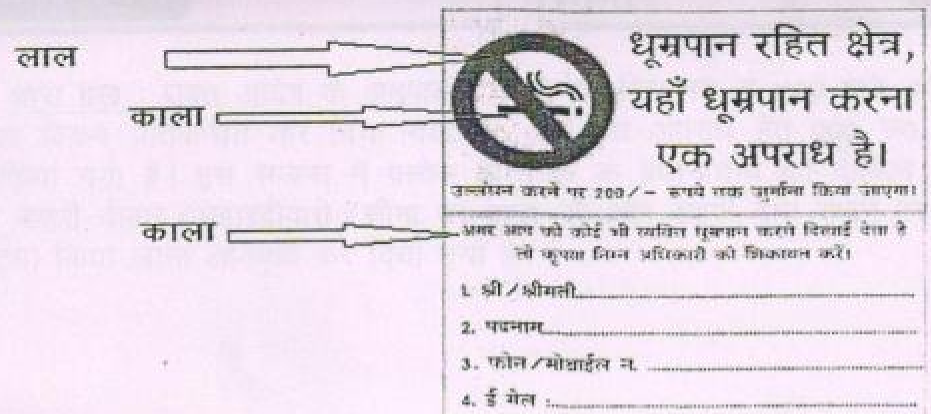

- तम्बाकू नियंत्रण कानून के अन्तर्गत यह बोर्ड लगाना मालिक या प्रबन्धक की जिम्मदारी है।
- इस हेतु आपके विभाग/कार्यालय/संस्थान/व्यापरिक प्रतिष्ठान मे अधिकारी को अधिकृत करे तावि वो निगरानी कर विभाग/कार्यालय/संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठान मे धूम्रपान करने वालों को अ दण्ड कर सके।

- तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन की सूचना देने के लिए संस्थान मे षिकायत अधिकारी का ना उलिलखित कराया जाये जैसे कि उपरोक्त मे दर्षाया गया है।
- संस्थान मे कोई धूम्रपान न करे, अगर आपके संस्थान या कार्यालय मे कोई धूम्रपान करते हुए मिलत है और आप उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नही करते है तो अर्थ दण्ड आप से भी वसूला जायेगा।

धूम्रपान को बढ़ावा देनें वाली कोई वस्तु जैसे–ऐष ट्रे, लाईटर आदि न हो।

धारा 6क : इस धारा के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र को/के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। इस धारा का उल्लंघन करने वालो पर भी 200/– तक जुर्माने का प्रावधान है। इस नियम के तहत नाबालिगों द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाये।

तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर 60X30 सेमी का निम्न प्रारूप का बोर्ड लगा हो।

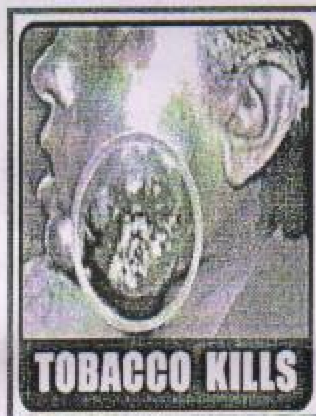

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है।

तम्बाकू से कैंसर होता है

बीड़ी	खैनी
सिगरेट	गुटका
सिगार	पान मसाला

धारा 6ख : उक्त आदेष के अनुपालन में प्रत्येक विद्यालय के 100 गज की परिधि में तम्बाक उत्पादों का विक्रय प्रतिबन्धित कर दिया गया है एवं इस अपराध हेतु 200 रू0 तक के दण्ड क प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य का दायित्व होगा कि विद्यालर परिसर के बाहरी दीवार/चहारदीवारी/सीमा पर बाहर की ओर सहज दृष्य स्थान पर एक चेतावनी बो (वॉल पेन्टिंग) किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोड का प्रारूप निम्नवत् हैः–

तम्बाकू मुक्त षिक्षण संस्थान
इस संस्था के 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना COTPA 2003 की धारा 6B के अन्तर्गत एक अपराध है उल्लघनकर्ता पर 200/– रू0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। आदेषानुसार प्रधानाध्याक/प्रधानाध्यापिका का नाम....................................... विद्यालय का नाम..............................

धारा 6क और 6ख के उल्लंघन में किये गये अपराधों के लिये प्रधानाचार्य, षिक्षा विभाग के निरीक्षक रेंक के अधिकारी ,खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड विस्तार अधिकारी, खण्ड विस्तार षिक्षा कार्यवाही करने के लिये अधिकृत हैं।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर अपने संस्थान को धूम्रपान मुक्त घोषित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

उक्त कार्यवाही में प्राप्त धनराषि कोषागार रसीद संख्या–385 के निम्न लेखा शीर्षक में जमा कराकर चालन की छायाप्रति मासिक रिर्पोट के साथ संलग्न कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली को प्रेषित करना सुनिष्चित करें।

लेखा शीर्षक–210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्रतियॉ, 04–स्वास्थ्य निदेशक।

(राघवेन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
बरेली।

पत्रांकः /एन0टी0सी0पी0/परिपालन/2018–19 दिनांकः 10.11.2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा मे प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0 लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
4– नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
5– आयुक्त महोदय, बरेली मण्डल बरेली।
6– जिला स्वास्थ्य शिक्षा एंव सूचना अधिकारी, बरेली।
7– श्री सुरजीत सिंह, प्रतिनिधि, उ0प्र0 वॉललण्टरी हेल्थ एसोसियशन शाखा, बरेली।

जिलाधिकारी
बरेली।